

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर**

**विविध बैंक प्रकरण संख्या 61 / 2025(GCMS : 2025/78)**

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

**बनाम**

1. मैसर्स श्री गंगा दाल मिल जरिये प्रो. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री लाधुराम 1. प्लॉट नं. एच-1-83, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) -335051 2. गांव 71 एनपी, पोस्ट ऑफिस 68 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335051
2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भानीराम निवासी मकान नं. 57 वार्ड नं. 4, नजदीक विश्वकर्मा मंदिर, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) - 335051

**25.03.2025**


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा एवं अशोक मेहर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 17.02.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स श्री गंगा दाल मिल - प्रो. श्री प्रदीप कुमार एवं राजेन्द्र कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 50.00/- लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.09.2015 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.10.2024 को 51,53,287/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र श्री लाधूराम (मैसर्स श्री गंगा दाल मिल में प्रोपराईटर) द्वारा बंधक रखी अपनी चल सम्पत्ति Hypothecation of entire Current Assets including Stocks, Stocks in Trade, Receivables, Consumable Stores and Spares and entire current assets and Hypothecated Movable Plant & Machinery etc. & अचल सम्पत्ति इंडस्ट्रियल फेक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं. एच-1-83, रिको, इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार 500 वर्गमीटर), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

**जिला मजिस्ट्रेट**  
श्रीगंगानगर



मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स श्री गंगा दाल मिल जरिये प्रो. प्रदीप कुमार पुत्र लाधुराम एवं राजेन्द्र कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 50.00/-लाख रूपये (अखरे रूपये पचास लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 30.09.2015 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र श्री लाधूराम (मैसर्स श्री गंगा दाल मिल में प्रोपराईटर) ने अपनी चल सम्पत्ति **Hypothecation of entire Current Assets including Stocks, Stocks in Trade, Receivables, Consumable Stores and Spares and entire current assets and Hypothecated Movable Plant & Machinery etc.** & अचल सम्पत्ति इंडस्ट्रियल फेक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं. एच-1-83, रिको, इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार 500 वर्गमीटर), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.10.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र श्री लाधूराम (मैसर्स श्री गंगा दाल मिल में प्रोपराईटर) की चल सम्पत्ति Hypothecation of entire Current Assets including Stocks, Stocks in Trade, Receivables, Consumable Stores and Spares and entire current assets and Hypothecated Movable Plant & Machinery etc. & अचल सम्पत्ति इंडस्ट्रियल फेक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं. एच-1-83, रिको, इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार 500 वर्गमीटर), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.11.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.11.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.11.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रदीप कुमार पुत्र श्री लाधूराम (मैसर्स गंगा दाल मिल में प्रोपराईटर) द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी प्रदीप कुमार पुत्र श्री लाधूराम (मैसर्स गंगा दाल मिल में प्रोपराईटर) द्वारा प्रार्थी बैंक/ कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई चल सम्पत्ति Hypothecation of entire Current Assets including Stocks, Stocks in Trade, Receivables, Consumable Stores and Spares and entire current assets and Hypothecated Movable Plant & Machinery etc. & अचल सम्पत्ति इंडस्ट्रियल फेक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं. एच-1-83, रिको, इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार 500 वर्गमीटर), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर